विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड
(प्रश्न अनुभाग)

संख्या : /वि०स०/05/(प्र०)/2017 देहरादून, दिनांक : 13 नवम्बर, 2024

प्रेषक,

सचिव,
विधान सभा उत्तराखण्ड।

सेवा में,

1. मुख्य सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन,
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।

विषय :उत्तराखण्ड की पंचम विधान सभा के वर्ष, 2024 के द्वितीय सत्र के सत्रावसान हो जाने के फलस्वरूप व्यपगत प्रश्न तथा सूचनाएं।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 2024 से उत्तराखण्ड की पंचम विधान सभा के वर्ष, 2024 के द्वितीय सत्र का सत्रावसान कर दिये जाने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–19 के अन्तर्गत सभी लम्बित् प्रश्न तथा सूचनायें व्यपगत हो गई हैं, परन्तु जो प्रश्न कार्यसूची में प्रविष्ट हो चुके हैं एवं विगत् सत्र की समाप्ति पर स्थगित किये गए थे, वे व्यपगत नही होंगे। इसी प्रकार नियम-51 के अन्तर्गत स्वीकृत एवं स्थगित की गई सूचनायें भी व्यपगत नहीं होंगी।

मुझे आपको यह भी सूचित करना है कि सत्रावसान की तिथि तक जितने भी प्रश्न स्वीकृत किये जा चुके हैं, उनके लिखित उत्तर यदि संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा सत्रावसान की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रश्नकर्ता सदस्यों के पास प्रेषित कर दिये जाते हैं और उनके लिखित उत्तर प्रेषित किये जाने की सूचना उत्तर की एक प्रति सहित उक्त कालावधि के भीतर विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हो जाती है तो उन्हें उत्तरित मान लिया जायेगा।

भवदीय,

(हेम चन्द्र पंत)
उप सचिव (लेखा)
कृते सचिव।

संख्या 179/वि०स०/05/(प्र०)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :–

1. मा० अध्यक्ष के प्रमुख निजी सचिव को मा० अध्यक्ष की सूचनार्थ,
2. मा० मुख्यमंत्री के वरिष्ठ निजी सचिव को मा० मुख्यमंत्री की सूचनार्थ,
3. मा० नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव को मा० नेता प्रतिपक्ष की सूचनार्थ,
4. समस्त मा० मंत्रियों के निजी सचिवों को मा० मंत्रियों की सूचनार्थ,
5. विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग,
6., अनुभाग अधिकारी, शोध एवं संदर्भ शाखा को विधान सभा की वेबसाइट हेतु।

(नीरज थापा)
उप सचिव।